

प्रतिहस्ताक्षरित याचिका सं०-110/26	उत्तर प्रतिवेदन
हम पटना शहर के कंकड़बाग निवासी <u>प्रार्थन</u> करते हैं कि राज्य के कार्य विभागों और उनके अंतर्गत कार्यरत निगम / बोर्ड में एजेंसी के साथ मिल कर योजनाओं का मनमाने तरीके से अवधि विस्तार एवं दर बढ़ोतरी पर रोक लगायी जाय । विदित हो कि राज्य के कार्य विभागों यथा-पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, शिक्षा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं उनके अंतर्गत कार्यरत बोर्ड / निगम में योजनाओं का ऐग्रीमेंट हो जाने के बाद विभिन्न कारणों को दर्शा कर अवधि विस्तार देकर प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी कर दी जा रही है। इससे जहां एक तरफ राज्य के राजस्व की हानि हो रही है वहीं उन संवेदकों के हितों पर आघात हो रहा है जिन्होंने अधिक दर टेंडर में उल्लेख किया था। यह जांच का विषय है कि जिस संवेदक को काम कम दर उल्लेख करने के आधार पर दिया गया बाद में अवधि विस्तार के नाम पर उससे दुगुनी दर दी जा रही है। यह काम सभी कार्य विभागों एवं उनके अंतर्गत कार्यरत निगम / बोर्डों में किया जा रहा है चाहे वह बुडको हो, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम हो, पथ विकास निगम हो, पुल निर्माण निगम हो, भवन निर्माण निगम हो आदि। उच्च स्तर पर बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः <u>प्रार्थना</u> है कि इस मामले की जांच याचिका समिति से कराते हुए कार्य विभागों एवं उनके अंतर्गत कार्यरत निगम बोर्डों में अवधि विस्तार एवं उसके नाम पर दर बढ़ोतरी संबंधी अनियमितता पर रोक लगाकर राज्य के राजस्व की हानि को रोकने की कृपा की जाय।	• वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग अंतर्गत किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन एकरारनामा में समाहित प्रावधानों एवं विभिन्न विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप कराया जाता है । एकरारनामा में कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने की तिथि अंकित रहती है। • किसी भी योजना का अवधि विस्तार केवल उन पस्थितियों में विचारणीय होता है जो संवेदक के नियंत्रण से बाहर हो अथवा ऐसा विपरीत/आपवादिक परिस्थिति जिसके कारण कार्य ससमय पूर्ण होना संभव नहीं हो। • किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा के शर्तों एवं विभागीय मापदंडों के अनुसार ही समयवृद्धि दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में विचार किया जाता है। समयवृद्धि के आधार पर किसी भी तरह का दर में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-06-11/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-935 दिनांक-05.07.2026 के आलोक में प्रतिहस्ताक्षरित याचिका सं0-110/2026 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-06-11/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-06-11/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मो0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

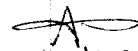
ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-06-11/2026 **5143**

पटना/दिनांक :.....**07/9/2026**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/9/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव